अध्याय-17

(क) भूमि सर्वेक्षण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तकनीकी शब्दावली एवं सामान्य अर्थ

1. ब्लू प्रिंट नक्शा – पूर्व सर्वे अर्थात् कैडस्ट्रल सर्वे के मूल नक्शा की प्रतिलिपि को कहा जाता है, जो हल्के नीला रंग से रेखांकित होता है यह Working Map होता है।
2. सी.एस. मैप – कैडस्ट्रल सर्वे के नक्शा को सी.एस. मैप कहा जाता है।
3. आर. एस. मैप – रिविजनल सर्वे का नक्शा, जहाँ रिविजनल सर्वे हो चुका है को आर.एस. मैप कहा जाता है।
4. खतियान – सर्वे में दर्ज भू-खण्डों का ब्यौरा, जिसमें खाता संख्या, खेसरा संख्या, भू-धारक का नाम, रकबा, किस्म तथा अन्य आवश्यक विवरणी दर्ज रहती है।
5. खाता संख्या – प्रत्येक रैयत के भू-खण्डों को ब्यौरा सहित समेकित रूप से इन्द्राज कर एक धारक संख्या यानि होल्डिंग संख्या में दर्शाया जाता हैं।
6. खेसरा – प्रत्येक भूखंड (Plot) जो कि खतियान एवं नक्शा में अंकित रहता है, तथा जिसके बारे में संख्या, रकबा, किस्म आदि ब्यौरा खतियान में दर्ज रहता है। सामान्य रूप से कहा जाता है कि खेसरा से अभिप्रेत है मानचित्र के अनुसार क्रमानुसार संख्यांकित भू-खण्डों की, दखलकारों, रकबा तथा भू-खण्डवार वर्गीकरण दर्शानेवाली सूची।
7. तेरिज – पूर्व के सर्वे या हाल सर्वे के खतियान का संक्षिप्त रूप को कहते हैं। इसमें खाताधारी का नाम, कुल खेसरा एवं कुल रकबा आदि का वर्णन रहता है।
8. नवैयत – जमीन का हक और प्रकार, जैसे रैयती, सेराह-यमन आदि।
9. किस्तवार – सरजमीं पर पाये जाने वाले प्रत्येक भू-खण्ड का नक्शा रकबा के अनुसार बनाना या कृषि के अनुसार भूमि का परिमापन तथा भू-खण्डकरण।
10. खानापुरी – भू-सर्वे करने के समय पंजियों में भूखंडों के बारे में विस्तृत ब्यौरा भरने या दर्ज करने की प्रक्रिया को कहते हैं। खानापुरी से अभिप्रेत है खतियान के स्तम्भों यथा रैयत का नाम, खेसरा, दखल इत्यादि का सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यान्वयनों के प्रारम्भिक अभिलेख लेखन चरण में भरा जाना।

11. सरहद – किसी ग्राम का सीमांकन रेखा (Boundary Line)

12. बटा नम्बर – खानापुरी करते समय किसी भूखंड (plot) का नम्बर देना छूट जाता है, तो उस ग्राम का अंतिम नंबर के ऊपर जिस Plot के बाद नम्बर देना छूट जाता है, उसी Plot को लिखा जाता है।

13. एकल खाता – एक ही रैयत के नाम से खाता दर्ज हो।

14. संयुक्त खाता – एक से अधिक व्यक्तियों के नाम से खाता दर्ज हो। मुख्यत: रैयती खाता तीन प्रकार के होते हैं :–

A. कब्जा बारी खाता

B. अंशधारी खाता

C. मिश्रित खाता

15. जरीब – जमीन का पैमाइश करने में उपयोग होने वाले जंजीर जो कि 100 कड़ी का होता है।

16. अधिकार अभिलेख – सर्वे में जो अधिकार अभिलेख (Record of Rights) बनाया जाता है। इसे खतियान भी कहते हैं। इसमें काश्तकारों का अधिकार प्रदर्शित होता है।

17. सैरात – जमींदार के राजस्व संग्रह हेतु विभिन्न उपाय या साधन जैसे जलकर, जलकर, मेला आदि।

18. बकाश्त – ऐसी जमीन जो मालिक की जोत में है और जिरात, कामत में दर्ज नहीं हो। बकाश्त जमीन मालिक द्वारा सीधे या अन्य साधनों द्वारा जोत में रहता है।

19. जिरात – मालिक की जोत की भूमि जिसमें काफी पूर्व (बिहार–बंगाल सर्वे के पूर्व) से मालिक के पास रही हो।

20. खेत – किसी भूमि का वह टुकड़ा या अन्य सटे टुकड़े जो एक ही किस्म का है तथा एक जमाबंदी के अंदर एक या अधिक रैयत के पास एक ही मालिक के अधीन एक ही नवैयत या हकीकत में हो, खेत कहलायेगा।

21. छींट एराजी – अगर एक गांव के अंदर दूसरे गांव की जमीन का टुकड़ा या क्षेत्र हो तो उसे छींट एराजी कहलाता है।

22. नई परती – वह परती जमीन जो तीन वर्ष से कम समय से परती या खाली रही हो।

23. पुरानी परती – तीन साल से अधिक अवधि तक परती या खाली रहने वाली जमीन को कहा जाता है।

24. धनहर फसल – तीन श्रेणी में दर्ज होते हैं A. धनहर I B. धनहर II c. धनहर III

25. भीठ फसल – जिसमें दो श्रेणी दर्ज होते हैं A. मीठ I B. भीठ II इसमें प्राय: रबी एवं भदई फसल आते है।

26. जमींदारी व्यवस्था – ब्रिटिश सरकार के अधीन एक निश्चित राशि या शुल्क पर जमींदारों को बड़ा भू-भाग का क्षेत्र बंदोबस्त करता था। यह शुल्क या राशि प्रति वर्ष देय होता था। पुन: जमींदार अपने क्षेत्राधिकार की भूमि रैयतों को जोत आबाद करने हेतु देता था तथा उसके एवज में लगान या अनाज के रूप में शुल्क वसूलता था।

शब्दावली

1. खेवट जिस कागजात में मालिक के हक वो हिस्सा एवं उनके जमींदारी के अन्तर्गत पड़ने वाले जमीनों का एवं रैयतों से लगान वसूली का विवरण दर्ज रहता था उसे खेवट कहा जाता है। इससे जमीन्दार का वास्तविक हक वो हिस्सा का पता चलता है। इसके तीन भाग होते है।

   (i) खेवट पहला - मालिकी

   (ii) खेवट दूसरा - लखिराज

   (iii) खेवट तीसरा - दरम्यानी हकदार

   इसका उपयोग जमीन्दार के समय होता था।

   जमीन्दारी हिस्सा निकालने का विवरण

16 कनवा	-	1 पड़स
16 पड़स	-	1 रैन
20 रेन	-	1 दन्त
3 क्रन्त	-	1 कौड़ी
4 कौड़ी	-	1 गण्डा
20 गण्डा	-	1 आना
16 आना	-	1 रुपया (पूरा हिस्सा)

2. सरजमीन – जमीन पर
3. स्याह करनी – स्याही से लिखना
4. तकसीम – बांटना
5. तरमीम – दुहराना (दुरूस्त करना)
6. रिवाज – नियम (पूर्व से चला आ रहा नियम)
7. साविक – पहले का
8. दस्तूर – नियम
9. मूर्तहीन – भरना लेने वाला
10. मुस्तरी – खरीदने वाला
11. मोआइना – दोबारा जॉच
12. याददास्त – यादगारी
13. मोकाबला – मिलान
14. शिकमी – एक रैयत के नीचे दूसरा रैयत जो जोतता है।
15. परती कदीम – जो जमीन सर्वे होने के 3 वर्ष पहले से परती चली आती है।
16. परती जदीद – जो जमीन सर्वे होने के बाद 3 वर्ष से परती चली आती है।
17. बदर – गलती
18. कायमी – जो रैयत 12 वर्ष से एक ही मौज में जोत रखता आया हो।
19. नवैयत – जमीन के प्रकार का वर्णन।
20. चाह खाम – कच्चा कुंआ
21. चाह पोख्ता – पक्का कुआ
22. जिरात – जो जमीन सर्वे के 12 वर्ष पहले से जमीन्दार के अधीन था एवं जमीन्दार खुद या अपने भाड़े के मजदूर द्वारा जोत आबाद कर उसका आमदनी या फसल खुद उपयोग करते थे वह उनका जिरात कहलाता था। जमीन्दारी उन्मूलन के पहले यह लगान फ्री होता था अगर वे किसी के हाथ बेच देते थे तो भी वह लगान मुक्त रहता था।

भूमि सर्वेक्षण/प्रबंधन के अधीन सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कर्तव्य निर्वहन करते समय अभिलेखों/साक्ष्यों/प्रपत्रों एवं बहस सुनने के क्रम में आने वाले तकनीकी शब्दावली जो प्रायः हिन्दी/उर्दू/फारसी के शब्दों में होते हैं, का अर्थ–

क्रमांक	शब्द	अर्थ
1.	अता	दान, दान करना
2.	अतायनामा	दान पत्र (वह दस्तावेज जिसमें दान करने का उल्लेख रहता है।)
3.	अदल	न्याय
4.	अर्जीदावा	वादपत्र, वाद निर्वहन
5.	असालतन	खुद का, स्वयं का
6.	आबियाना	जलकर
7.	अराजी	क्षेत्र, भूमि, जमीन
8.	इजहार	कथन, वक्तव्य, अभिवचन
9.	इत्तलानामा	सूचना पत्र
10.	इन्तहाम	तोहमत, आरोप
11.	इन्तखाब	चुनाव, निर्वाचन, वरण
12.	इन्द्राज	प्रविष्ट करना, दर्ज करना, पक्षारोपण
13.	इजमाल	शामिलात, सह–सम्मिलित
14.	इजराय	निष्पादन, लागू करना (Execution)
15.	उजरत	पारिश्रमिक, मेहनताना
16.	कदीम	प्राचीन, पुराना
17.	काजी	धर्माधिकारी
18.	कातिब	लिपिकार, दस्तावेज लेखक
19.	काबिज	दखलकार, कब्जादार
20.	कारकून	कर्ता, प्रबंधक
21.	काश्तकार	कृषक, किसान
22.	कुतबा	अभिलेख, लेख, बंधपत्र
23.	केवाला	विक्रय पत्र (Sale Deed)
24.	कैफियत	विशेष युक्ति

25.	कदामत	प्राचीनता
26.	कदीम	पुरातन, पुराना
27.	कन्दा	अंकित, उत्खनित
28.	कफील	प्रतिभू, जामिन
29.	कब्जुल वसूल	संग्रहक–पत्र, प्राप्ति–पत्र, रसीद
30.	कबीला	जाति, वंश
31.	कबुलियत	स्वीकृति–पत्र
32.	कब्ल	पूर्व
33.	कब्ल–अज वक्त	अकालिक, असामयिक
34.	कल तहरीर दस्तावेज	लेख्य लिखने के पूर्व
35.	कम–अज–कम	न्यूनातिन्यन, कम–से–कम
36.	कयास	अनुमान, कल्पना, ध्यान
37.	कयास लाजिमी	अवाध, अनुमान
38.	कयासी	काल्पनिक, अनुमति
39.	करम	अनुग्रह, कृपा
40.	करारी	निश्चित किया हुआ
41.	करारदाद	निश्चय, प्रतिज्ञा
42.	करिया	गाँव, ग्राम
43.	करीने–मसलेहत	युक्तिसंगत, उचित
44.	कलील	अल्प
45.	कसद	संकल्प, इरादा
46.	कहत	दुर्भिक्षा, अकाल
47.	काजिब	अनृत, मिथ्या, झूठा
48.	काजी	धर्माधिकारी
49.	काफी	पर्याप्त
50.	काबिज	कब्जावाला, कब्जादार
51.	काबिल	योग्य, पात्र
52.	काबिल अदखाल	उपादेय, ग्राह्य
53.	काबिल अमल	साध्य, व्यवहारोपयोगी, व्यवहार्य

54.	काबिल इस्तखाव	निर्वाचन योग्य
55.	काबिल इन्तकाल	हस्तान्तरणीय
56.	काबिल इर्स	दाय, देय
57.	काबिल एतबार	विश्वसनीय
58.	काबिल एतराज	आपत्तिजनक
59.	काबिल काश्त	कृषि योग्य, कर्षणीय
60.	काबिल जमानत	प्रतिभा-योग्य
61.	काबिल तकसीम	विभाज्य, विभाजनीय
62.	काबिल तबदील	परिवर्तनीय
63.	काबिल दस्त अन्दाजी	हस्तक्षेप-योग्य, अनुसंधेय, संज्ञेय
64.	काबिल नालिश	वादयोग्य, व्यवहार्य, अपवादनीय
65.	काबिल निफाज	प्रवर्तनीय, जारी होने योग्य
66.	काबिल पाबन्दी	पालनीय
67.	काबिल रजिस्ट्री	निबन्धन-योग्य, निबन्धनीय
68.	काबिल सजा	दंडनीय
69.	काबिलियत	योग्यता, बुद्धिमत्ता
70.	काबू	वश
71.	कामिल	पूर्ण, अबाध
72.	कायम मुकाम	स्थानापन्न, प्रतिनिधि
73.	कायम मुकाम कानूनी	वैध प्रतिनिधि
74.	कारकुन	कर्ता, प्रबन्धक
75.	कार गुजार	कार्यकर्ता
76.	कारिन्दा	कार्यकर, कारीगर, कर्मठ
77.	काविश	अनुसंधान, बैर
78.	काश्तकार	कृषक, किसान, खेतीहर
79.	कासिद	दूत, हरकारा, पत्रवाहक
80.	कासिम	विभाजक
81.	कितार	पंक्ति, कतार
82.	किफायतशारी	मितव्ययिता

83.	किफालतनामा	अधिपत्र, प्राधि-पत्र, जमानतंनाम
84.	किस्त	आशंकी, अंशिका, अंशांश, व्यष्टिश:, अंशश:
85.	किस्म	प्रकार, भेद, जाति
86.	किस्म जमीन	भू-भेद, भूमि का प्रकार
87.	कुर्बोजवार/कुर्ब व जववार	पार्श्ववर्ती, पड़ोसी, आस-पास
88.	कुर्रा	गुटिका, पात
89.	कुफ्ल	ताला, पेंच
90.	कुल	सम्पूर्ण, सकल
91.	कूब्बत	बल, शक्ति, सामर्थ्य
92.	केबाला	विक्रय-पत्र, केबाला
93.	केबाला नीलामी	सघोष विक्रय-पत्र, नीलामी विक्रय-पत्र
94.	क्रेता	खण्ड/केता करना, खण्ड करना
95.	कैद महज	साधारण कारावास
96.	कैद सख्त	कठोर कारावास
97.	कैफियत	अभ्युक्ति, पार्श्वोक्ति, विशेषोक्ति
98.	कोहना	प्राचीन
99.	कौम	जाति, राष्ट्र (ककौमी-जातीय, राष्ट्रीय)
100.	कौस	वृत-खण्ड, वृतांश, चाप
101.	ख्याल	विचार
102.	खता	अपराध, दोष, त्रुटि
103.	खतों-किताबत	पत्राचार, पत्र-व्यवहार, पत्र-लेखन
104.	खम	टेढ़ापन
105.	खयानत	निक्षेपापहार, थातीहरण
106.	खर्चा नालिश	व्यवहार व्यय, अभियोग व्यय, अपवाद व्यय
107.	खेसरा	खेसरा, क्षेत्र-पुस्त
108.	खसूसन	खासकर, विशेषत:
109.	खातिमा	तुष्टि हेतु, तोषणार्थ
110.	खातून	आर्या, श्रीमती, सुश्री
111.	खादिम	सेवक

112.	खरीफ फसल	भदई, अगहनी, हेमन्त ऋतु में होने वाली फसल
113.	खानकाह	मठ, धर्मवास
114.	खेसरा पंजी	क्षेत्रपुस्त, क्षेत्रपंजी जिसमें भूमि से सम्बन्धित ब्यौरा भी दर्ज हो
115.	खारिज	निरस्त, रद्द
116.	खिरमन	खलिहान, दासान
117.	खैरात	दान, बक्शीस
118.	खानाजंगी	गृह कलह
119.	खाम	अपरिपक्व, कच्चा, घटिया, व्यर्थ
120.	खायफ	कातर
121.	खुदकास्त	स्वकर्षित, निज जोत
122.	खुदादाद	ईश्वर-प्रदत्त
123.	खेराज	राजस्व, कर, शुल्क
124.	खेसारा	क्षति, त्रुटि
125.	खैरख्वाह	हितेच्छु, हितैषी, शुभचिन्तक
126.	गलत इन्द्राज/इन्दराज	भ्रमवा दर्ज करना, अनृत पत्रारोप, अशुद्ध प्रविष्टि
127.	गलत बयानी	मिथ्या कथन, अनृतं कथन, असत्योक्ति
128.	गवाह-चश्मदीद	प्रत्यक्षदर्शी, साक्षी
129.	गस्ती हुक्म	परिपत्र, पर्यादेश
130.	गाव कुशी	गोबध
131.	गासिब	अनाधिकार भोक्ता
132.	गुजारा	निर्वाह-वृति
133.	गुजिस्ता	विगत, भूत, बीता हुआ
134.	गुंजाइश	समावेश, अवसर
135.	गैर-तरफदार	निष्पक्ष
136.	गैर-मजरूआ	परती, अकृष्ठ
137.	गैर-मनकूला	अचल, स्थावर, अचर
138.	गैर-मशरूत	प्रतिबन्धहीन, अप्रतिबन्ध
139.	गैर-महदूद	असीम, अपरिमित

140.	गैर–मुअय्यन	अनिश्चित, अनिर्धारित
141.	गैर–भूअस्सर	अप्रभावी, प्रभावहीन
142.	गैर–मुकम्मल	अपूर्ण
143.	गैर मुतनाजा	निर्विवाद, अविवादग्रस्त
144.	गवाह	साक्षी, घटना का बयानकर्ता
145.	गैर मजरूआ	परती, अकृष्ट, जिसमें खेती नहीं की जा रही हैं।
146.	चाह	कुआँ, कूर (चाट्ट पोख्ता, पक्का कुआँ, चाट्टखास, कच्चा कुआँ)
147.	चौहद्दी	चौसीमा, चारो सीमा
148.	जर	धन, सम्पत्ति
149.	जिरात	बड़ा कृषि क्षेत्र (जमीन्दार द्वारा धारित)
150.	जरेपेशगी	अग्रिम चुकता, अग्रिम राशि
151.	जिरह	परिप्रश्न, प्रतिप्रश्न
152.	तकसीम	विभाजन, वितरण, बँटवारा।
153.	तकिया	आश्रय स्थली, आश्रम
154.	तनाजा	विवाद, झंझट
155.	तामादी	कालातीत, समय समाप्त होना
156.	तरतीब	क्रबवद्धता, लगातार, सिलसिला
157.	तरमीम	संशोधन करना, सुधार
158.	तलवाना	आधान शुल्क, मार्गव्यय, तामीला शुल्क
159.	तसदीक	सत्यापन, अभिप्रमाणन
160.	तसफिया	निपटारा, फरियाना
161.	तहरीर	लेख, लेखपत्र
162.	तहरीरी	लिखित रुप में
163.	तावे	अधीन, ऊपर दर्ज अनुसार
164.	तितिम्मा	पूरक लेखपत्र, संशोधित लेखपत्र
165.	दखल देहानी	प्रवेश प्रदान, अधिभार प्रदान, दखल दिलाना
166.	दरम्यानी	बिचला, अन्तरित, मध्यवर्ती
167.	दफा	धारा, सेक्शन

168.	दफीना	गड़ा धन
169.	दरीबुद	जलमग्न, जलप्लावित
170.	दस्तावेज	लेख्य, प्रलेख, पत्र
171.	दस्तुर	नियम, परिपाटी, विधान, व्यवस्था
172.	दाखिल-खारीज	नाम परिवर्तन, प्रविष्टि विखंडन, प्रविष्टि अद्यतन
173.	दीगर	अन्य दूसरा, पराया
174.	दीवानी	स्वत्व सम्बन्धी, अर्थ सम्बन्धी
175.	दीवानी अदालत	व्यवहार न्यायालय, Civil Court
176.	दुख्तर (दोख्तर)	पुत्री, दुहिता
177.	नकल बजाप्ता	प्रतिलिपि, अभिप्रमाणित प्रति
178.	नक्शा नजरी	दृश्य चित्र, स्थूल चित्र, नजरी खाका
179.	नजराना	भेद, उपहार
180.	नवईयत	प्रकार, विभेद
181.	नशेब	ढालू जमीन, ढ़लकउआ भूमि
182.	नाजिर	द्रष्टा, देखनेवाला, निरीक्षक
183.	नामजद	नामित, मनोनित
184.	नामुकम्मल	अपूर्ण, अधूरा
185.	निस्फ	अर्धांग, अर्धभाग, आधा
186.	निस्वत	सम्बन्ध, तुलना
187.	नीलाम	सघोष विक्रय
188.	नुमाईन्दा	प्रतिनिधि, अधिकर्ता
189.	परदानसीन	पर्दा में रहने वाली, सलील, सामने न आने वाली
190.	परवरिश	भरण पोषण, आजीविका
191.	पुख्ता	पक्का, स्थायी, मजबूत
192.	पेशकार	उपस्थापक, प्रस्तुत करने वाला
193.	पेसर	पुत्र, बेटा
194.	पैमाना	नाप, माप
195.	पैरवी	देखभाल, किसी का पक्ष रखना
196.	फरार	पलायन, भाग जाना

197.	फरियाद	शिकायत, शिकवा, आग्रह
198.	फरीक	सहपक्षी, प्रतिपक्षी, दल
199.	फरीक सानी	दूसरा पक्ष, दूसरा दल
200.	फरीकैन	आपसी पक्ष, आपसी दल
201.	फरोख्त	विक्रय, बिक्री
202.	फरोश	विक्रेता
203.	फिदवी	भवदीय, आपका
204.	फेहरिस्त	सूची
205.	फौजदारी	दण्डवाद, दण्ड सम्बन्धी, अभियोग
206.	फौत	मृत्यु उपरान्त
207.	वयनामा	विक्रय पत्र (Sale Deed)
208.	बयान तहरीरी	लिखित कथन, लिखित बयान
209.	बयान हलफ	शपथ पत्र
210.	बरी	मुक्त, स्वतंत्र करना
211.	बहस	तर्क, वाद विवाद
212.	बाजाब्ता	अधिकारिक, विधिवत्
213.	बय	क्रय, खरीदना
214.	बैलाक लाभी	निर्विवाद विक्रय
215.	मजनून	विषय, प्रसंग, आयशित
216.	मरकूम	लिखित, अंकित
217.	मसविदा	स्थूल लेख, प्रारूप
218.	महकमा	विभाग, प्रभाग
219.	महरूम	वंचित, अलग करना
220.	माकूल	न्याययुक्त, उचित, सही
221.	मालगुजारी	राजस्व, कर
222.	मिन	से, तरफ से
223.	मिलकियत	स्वामित्व, भूस्वत्व
224.	मीयाद	अवधि, समय साध्य
225.	मोसला	एक प्रति अनुलग्नक के रूप में

226.	मुखबीर	भेदिया, भेद बताने वाला
227.	मुख्तारनामा	प्रतिनिधिपत्र, अधिकरण पत्र
228.	मुचलिका	प्रतिज्ञापत्र, एकरारपत्र
229.	मुद्दई	वादी, वाद दायर करने वाला
230.	मुद्दालेह	प्रतिवादी, जिसके विरूद्ध वाद दायर किया गया।
231.	मुन्सरिम	प्रस्थापक, प्रबंधक, अधिष्ठाता
232.	मुबलिग	शुद्ध, मात्र केवल
233.	मुर्तहीन	महाजन, अधिग्राहक, बंधक
234.	मुल्तबी	स्थगित, स्थगन
235.	मुवक्किल	कार्यार्थी, अभ्यर्थी, पदार्थी
236.	मुश्तवह	अज्ञात, संदिग्ध
237.	मुश्तरी	क्रेता, खरीदनेवाला
238.	मुश्तकील	स्थायी, दृढ़, निहियत
239.	मूरिस	पूर्वज
240.	मूसी	दानकर्ता, वसीयत करने वाला, इच्छापत्र कर्ता
241.	मौका	घटनास्थल, अवसर
242.	मौसूल	मिला हुआ, प्राप्त हुआ
243.	यकजाई (एक जाई)	एक साथ, मिला हुआ
244.	रैयत	प्रजा, जनता
245.	राहिन	महाजन, बंधक रखने वाला
246.	रेहन	बंधक, सानुबंध
247.	वक्फ	धर्मदाच, संकल्प
248.	वफात	मृत्यु
249.	वली	अभिभावक
250.	वसीका	लेख्य, लिखित अनुज्ञापत्र
251.	वसीयतनामा	दिस्यापत्र, उत्तरदान पत्र
252.	शिकमी	उप, दर, अधीन
253.	सकूनत	निवास स्थान, पता, रहने का पता
254.	सजायाफ्ता	दंडित, दंड प्राप्त

255.	सदर	मुख्यालय, केन्द्र
256.	सम्मन	आघोष, आहवान
257.	साकिन	निवास, अधिवास
258.	साबिक	विगत, पूर्व प्राचीन
259.	सालिस	मध्यस्थ, बीच-बचाव
260.	सुलहनामा	संधिपत्र, समझौता पत्र
261.	सैलाब	बाढ़
262.	हकीयत	भू-स्वामित्व, स्वामित्व, हक
263.	हकसफा	पूर्वक्रयाधिकारी
264.	हर्जा	क्षति, घाटा, हानि
265.	हल्का	क्षेत्र, खण्डक्षेत्र, इलाका
266.	हाकिम	अफसर, आदेशक, शासक
267.	हाशिया	किनारा, पार्श्व
268.	हिब्बा	प्रति दान, दान
269.	हुकमनामा	आदेश पत्र

प्रचलित शब्द/अरबी, फारसी, उर्दू-हिन्दी शब्दावली

	प्रचलित शब्द	**अरबी, फारसी, उर्दू-हिन्दी शब्दावली**
1.	अइयाम, ऐयाम	दिवस, समय, दिन, युग
2.	अकब	पिछला भाग, पीछा
3.	अकदाना	गठबंधन-शुल्क (काजी का देय), सिद्वान्त शुल्क (दक्षिण/पंजीकरण/घटक को देय)
4.	अकीद	दृढ़, पुष्ट
5.	अक्ली	काल्पनिक, तर्क सिद्ध
6.	अफीदा	विश्वास, धर्म-सिद्वान्त
7.	अकूबत	दंड
8.	अखज	ग्रहण करना, उद्वत करना
9.	अखवान	बन्धु-बान्धव, भाई-बन्धु
10.	अगरचे	यद्यपि, यदि ऐसा है।
11.	अगलब	बहुत करके, बहुत संभव है कि

12.	अज	से
13.	अज–खुद	स्वयं
14.	अजजा (जुज)	अंश, अवयव, भाग, टुकड़ा
15.	अजनास, जिन्स	अन्नादि, धन–धान्य, वस्तुएँ।
16.	अजरूए	अनुसार
17.	अजल	मृत्यु
18.	अजीम	विशाल
19.	अतफाल	संतान, बाल बच्चे
20.	अतिया	प्रदत्त, दी हुई वस्तु
21.	अदना	छोटा, साधारण, निम्न
22.	अदम इस्तेमाल फरीक जरूरी	आवश्यक पक्ष संधि लोप
23.	अदम हाजिरी फरीकन	पक्षों की अनुपस्थिति।
24.	अदद	अंक, संख्या, गिनती
25.	अदल	न्याय, न्यायशील
26.	अदायगी	चुकती, शोधन
27.	अदालते इब्तिदाई	आरंभिक न्यायालय
28.	अदालते आलिय	उच्च न्यायालय
29.	अदालते खफीफा	लघु वाद न्यायालय
30.	अदालते दीवानी	दीवानी न्यायालय, व्यवहार न्यायालय
31.	अदालते फौजदारी	दण्ड न्यायालय
32.	अदालते मातहत	अधीनस्थ न्यायालय
33.	अदालते माल	राजस्व न्यायालय
34.	अदालते सेशन	सत्र न्यायालय
35.	अदालतुल–आलीया	सर्वोच्च न्यायालय, अधिकरण
36.	अबवाव	अध्याय, परिच्छेद, लगान, शुल्क
37.	अमर, अम्र, अमर	वाद–विषय, प्रसंग, बात, विषय
38.	अमल	कार्य, कर्म, व्यवहार, आचार, प्रयोग
39.	अमल–दरामद	कार्यान्विति, प्रयुक्ति, प्रयोग में लाना
40.	अमलदारी	शासन, अधिकार, प्रभुत्व, राजस्व, सत्तावधि

41.	अमली	सक्रिय, क्रियात्मक, व्यावहारिक
42.	अम्र मफरूजा	कल्पित विषय
43.	अर्जदास्त	आवेदन, निवेदन
44.	अर्जी	प्रार्थना–पत्र, निवेदन–पत्र, आवेदन–पत्र, अर्जना याचना, वाद–पत्र
45.	अर्जीदावा	वाद–पत्र, वाद–निवेदन, अर्थना–पत्र
46.	अलल तरतीब	क्रमशः यथाक्रम, क्रमानुसार
47.	अलहदा	पृथक, विभक्त
48.	अलामत	लक्षण, चिन्ह
49.	अलेहदगी	पार्थक्य, विभाजन
50.	अय्याम	दिन, काल स्त्रियों का राज–काल
51.	असनादे–मिल्कियत	आगम–पत्र, स्वत्व प्रमाण–पत्र
52.	असलवीलुलवदल	वैकल्पिक
53.	असालतन्	स्वयं
54.	असास–उल–बैत	गृहोपकरण, गृह सामग्री
55.	अहकाम	आदेश, आज्ञा–पत्र
56.	अहद	वचन, प्रतिज्ञा, प्रतिश्रुति
57.	अहदनामा	प्रतिज्ञा–पत्र
58.	अहल	मुख्य, योग्य, व्यक्ति, लोग, स्वामी
59.	अहलकार	कर्मचारी
60.	आकनामा	विलेख जिसे कोई व्यक्ति अपने किसी अयोग्य पुत्र को अत्तराधिकारी से वंचित करता है
61.	आफते–नागहानी	आकस्मिक विपत्ति
62.	आब	पानी
63.	आबपाशी	सेचन, सिंचाई
64.	आयद करना	लगाना, आरोप करना, लागू करना
65.	आरजी	अस्थायी, आकस्मिक
66.	अराजी (अर्ज/अराजी का बहु.)/आराजियात	क्षेत्र, भूमि, जमीन, खेती–बारी
67.	आहनगर	लोहार

68.	इंकिजा	समाप्ति
69.	इकजाई	एकत्र, इकट्ठा
70.	इकतरफा	एकांगी, एकपक्षीय
71.	इकरार	वचन, प्रतिज्ञा, स्वीकृति
72.	इकरार सालेह	धर्म-प्रतिज्ञा
73.	इखतिताम/खत्म	समाप्ति, अन्त
74.	इखतिलाफ	विरोध
75.	इखतिसार/मुख्तसर	संक्षेप, संक्षिप्त
76.	इखतियार	अधिकार, अधिकार क्षेत्र क्षेत्राधिकार
77.	इखतियार तमीजी	समवाय अधिकार
78.	इखराज/खारिज	निरसन, काटना, खण्डन
79.	इखराजात/खर्च	व्यय
80.	इजमाल हुमताम, शरीक कारबार तावै	मिताक्षरा शास्त्र के अधीन सम्मिलित
81.	इजरा	प्रवर्तन, निष्पादन
82.	इजराय	निष्पादन, उपस्थापन
83.	इजहार	कथन, वक्तव्य
84.	इजाफा	वृद्वि
85.	इजाफा लगान	कर-वृद्वि, लगान-वृद्धि
86.	इजाफा हैसियत उर्फी	मानहानि
87.	इत्तलानामा	सूचना-पत्र
88.	इत्तहाद	एकत्व, मेल
89.	इत्तहाम (तोहमत)	आरोप
90.	इन्तिकाल/मुन्तकिल	हस्तान्तरण
91.	इन्तकाल कुनिन्दा	हस्तान्तरक
92.	इन्तेजामिया	प्रबन्धकारिणी
93.	इन्दराज/दर्ज	प्रविष्टियाँ, लेख, दर्ज करना।
94.	इन्दुल तलब	माँगने पर
95.	इन्दुल मुलाहिजा	दर्शनी, देखते ही
96.	इन्फिसाल	निर्णय, फैसला

97.	इबाअत व फरमाबरदारी	अधीनता और आज्ञा पालन करना
98.	इबादज/एबादत	पूजा
99.	इबारत जहूरी	सत्यापक लेख
100.	इब्तदायी	प्रारम्भिक
101.	इमकन	सम्भावना
102.	इमलाफ	सम्पत्ति
103.	इरसाल करना	भेजना, प्रेषित करना
104.	इरादा	अभिप्रायं, दृढ़ विचार
105.	इल्तबा	स्थगन
106.	इल्तमास करना	प्रार्थना करना
107.	इशाअत	प्रकाशन
108.	कब्जा की डिग्री सादिर की जाये	की पुष्टि सम्बन्धी जयपत्र प्रतिष्ठित की जाये
109.	इस्तदुआ	प्रार्थना, निवेदन
110.	इस्तमरारी	चिरस्थायी, स्थिर
111.	इस्तहकाक	स्वत्व, अधिकार
112.	इस्तहकाम/इस्तिहकाम	पुष्टता, समर्थन
113.	इस्तहाल बिलजब्र	बलात् ग्रहण
114.	इस्तिगासा/इस्तगासा	न्याय की प्रार्थना, अभियोग
115.	इस्लाह	संशोधन, सुधार
116.	उज्र	आपत्ति, आक्षेप, बहाना
117.	उज्रदारी	आपत्ति–पत्र
118.	उदूलखुहुक्मी	अवज्ञा, आज्ञा उल्लंघन
119.	उफतादा	खण्डहर, परती
120.	उमूमियत	व्यापकता, सर्वसाधारणता
121.	उस्तून	खंभा, स्तम्भ
122.	एकमुश्त	एकमुष्टि, एक साथ, एकत्र
123.	एतकाद	विश्वास, श्रद्वा
124.	एहकाम	सूचनाएँ, आदेश
125.	ऐलान/ऐलाम	घोषणा, प्रख्यापन
126.	औदी	परवर्ती

(ख) भू-माप स्केल का अध्ययन

(i) विवरण–गुनिया साधारणत: दो इंच का होता है। नक्शा में मुख्य पैमाना के आधार पर दूरी मापने में उपयोग किया जाता है।

गुनिया पर 2 इंच = 100 कड़ी (लिंक)

या, 1 जरीब (चेन) होती है।

1 सेमी. = 20 कड़ी

मुख्य पैमाना के आधार पर मापा जाता है।

(ii) ज्यादातर नक्शा में पैमाना 16 इंच = 1 मील

या 1 सेमी. = 39.60 मीटर मिलता है।

कड़ी के आधार पर इसका अर्थ है

1 सेमी. = 200 कड़ी (दो चेन)

या 10 मिली मीटर = 200 कड़ी

इसलिए 1 मिमी. = 200/10 कड़ी

= 20 कड़ी

गुनिया पर दो महीन रेखाओं के मध्य 1/2 मिमी. की दूरी होती है जिसका अर्थ 10 कड़ी होता है।

नोट–1/2 मिली मीटर से कम होने पर नेत्रानुमान की सहायता से 1/4 मिली मीटर कड़ी पाया जाता है।

(iii) पैमाना 32 इंच = 1 मील

कड़ी के आधार पर 1 सेमी. = 100 कड़ी

या, 10 मिली मीटर – 100 कड़ी

या, 1 मिली मीटर = 100 = 10 कड़ी

यदि 1 मिली मीटर = 10 कड़ी नक्शा पर मापते हैं।

(iv) पैमाना 64 इंच = 1 मील = 1:990

कड़ी के आधार पर 1 सेमी. = 50 कड़ी

या, 10 मिली मीटर = 50 कड़ी

या, 1 मिली मीटर = 50/10 = 5 कड़ी

1 मिली मीटर = 5 कड़ी

नक्शा पर मापा जाता है।

भू-माप को जानना आवश्यक है। भूमि की लम्बाई को 1 किलोमीटर, मीटर, कड़ी (लिंक) आदि मात्रक द्वारा मापा जाता है। इसलिए मुख्य पैमाना (Scale)

पर 1 सेमी. = 1 किमी.

या, 1 सेमी. = 100 मीटर

या, यदि 1 सेमी. = 100 फीट इत्यादि मानकर मैप खींचा जाता है। प्रत्येक ग्राम के नक्शा में मुख्य पैमाना लिखा रहता है। उसी पैमाना के अनुसार अमीन भू-माप कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी गाँव के नक्शा में पैमाना

1 सेमी = 39.60 मीटर

1 सेमी. = 200 कड़ी (लिंक) लिखा हुआ है तो इसका अर्थ नक्शा में 1 सेमी. की दूरी जमीन पर 39.60 मीटर के बराबर होगा।

आबादी मौजा एवं अन्य स्थलों की पैमाईश

क्र.सं.	पैमाना	भूमि पर	आशय
1.	1 इंच	25 मील	ग्रेट ट्रिग्नॉमेट्रिकल सर्वे नक्शों के लिए
2.	1 इंच	16 मील	प्रान्त के नक्शा के लिए
3.	1 इंच	8 मील	जिला के भौगोलिक मानचित्र तैयार
4.	1 इंच	4 मील	जिला के भौगोलिक मानचित्र तैयार
5.	1 इंच	1 मील	जिला का नक्शा जिसमें नवाजयात की सीमायें दिखलाई जाती है।
6.	4 इंच	1 मील	कस्का, छावनी, आबादी की मापी हेतु
7.	16 इंच	1 मील	कैडस्ट्रल सर्वे हेतु
8.	32 इंच	1 मील	धान के छोटे-छोटे खेतों की नापी हेतु
9.	64 इंच	1 मील	गाँव एवं कस्बा की आबादी की नापी हेतु
10.	128 इंच	1 मील	अत्यन्त घनी आबादी की नापी हेतु

नक्शा को सही दिशा में रखने का तरीका–नक्शा में उत्तर एवं दक्षिण पर ध्यान दें और नक्श को सदैव उत्तर दिशा की ओर रखकर मापी की जाती है।

1. आयातकार खेत का क्षेत्रफल = लम्बाई x चौड़ाई = क्षेत्रफल

2. दोनों आमने-सामने की भुजा को जोड़कर आधा करें इस तरह से लम्बाई और चौड़ाई निकालकर गुणनफल करें यही रकबा होगा।

3. **त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम**–तीन भुओं को जोड़कर आधा करें। आधे में प्रत्येक भुजा को घटाएँ। आधे को और तीन घटवा फलों को संलग्न करें। गुणनफल का वर्गमूल रकबा होगा।

(ग) विगत कैडस्ट्रल/रिविजनल सर्वेक्षण में प्रचलित लाईनों का प्रयोग एवं उनका वर्णन

रूपरेखा

1. चांठा 222
2. कटाव 223
3. गोदा 223
4. सेमेड़ा या तीन मेड़ा 223
5. चौमेड़ा या चार मेड़ा 223
6. तीन सिवानी या सेहढा लाईन 223
7. चार सीवान या चौहठा 223
8. खरंजी लाईन 223
9. दाखिली लाईन 223
10. खारगी लाईन 223
11. वापसी लाईन 223
12. पंजा 223
13. दहला 223
14. तोखा लाईन 224
15. मुरब्बा एवं मुरब्बा लाईन 224
16. ट्रावर्स लाईन 224
17. सिकमी लाईन 224
18. ओतर लाईन 224
19. कैंची लाईन 224
20. पेटा या परदा लाईन 224
21. पैन शीट लाईन 224
22. मार्जिन लाईन 224
23. टाई लाईन 224
24. चेक या पड़ताल लाईन 224

1. चांठा—यह वह मुकाम है जो बनाया हुआ गोल शक्ल का होता है। जहाँ दो सरहदी (सीमा) ट्रावर्स या मुरब्बा तरामी की लाईनें आपस में मिले हैं। इसे बाउण्ड्री करते समय सरहद पर और टुकड़ा करते समय शुरु और अंत में दोनों छोर कर मिट्टी से अन्तर कर देते हैं।

2. कटाव–लाईन वह निशान है जो जरीब चलाते समय जब मोड़ पर पहुँचते हैं तो दोनों तरफ के मोड़ को मिला दिया जाता है जिसमें नक्शा पूरा प्लॉट बन जाता है।

3. गोदा–गोदा लाईन किसी लाईन पर माप में आसानी के लिए एक गड्ढा डेढ़ फुट व्यास का खोदा जाता है। यह निशान गोल आकार का नुकई किया हुआ होता है। ट्रावर्स लाईन से मुरब्बा तक या गोदा से गोदा तक इसे मिलया दिया जाता है। जहाँ सिकमी लाईन से छुई हुई जमीन तथा ऐसी जमीन जहाँ सिकमी लाईन नहीं दिया जा सकता है, वहाँ इस लाईन के जरिये भी पैमाइश की जाती है।

4. सेमेड़ा या तीन मेड़ा–जहाँ आपस में एक स्थान पर तीन खेतों का मोड़ मिले, अमीन किसी प्लॉट या खेत को नापी करने पर तिमेड़ा यानी तीन लाईन आकार एक स्थान मिले या मिलाये उसे सेमेड़ा या तीन मेड़ा कहते हैं।

5. चौमेड़ा या चार मेड़ा–जहाँ आपस में एक स्थान चार खेतों का मोड़ मिले, उसे चौमेड़ा चार मेड़ा कहते हैं।

6. तीन सिवानी या सेहढा लाईन–जहाँ पर आपस में एक ही स्थान पर तीन गाँवों की सीमा आकर मिले उसे तीन सिवान या सेहढ़ा निशान कहा जाता है। वहीं पर जमीन पर तीन कोणों का पत्थर गाड़ा जाता है, इससे नापी करने वाले अमीन को या ग्रामीणों को देखने में आसानी होती है। जिसे तीन सिवानी पत्थर कहा जाता है।

7. चार सीवान या चौहठा–जहाँ एक ही स्थान पर आपस में चार गाँवों की सीमा आकर मिलती है, उसे चार सीवानी कहा जाता है और सरजमीन पर गाड़े गए पत्थर को चार सिवानी पत्थर कहा जाता है।

8. खरंजी लाईन–जिस लाईन से नापी किया जा रहा हो, उसके दाएँ बाएँ तरफ से बिना कटान लिए लाईन बाहर चली जाय, उसे खारंजी लाईन कहते हैं।

9. दाखिली लाईन–जो नापी के समय जरीबी लाईन के नीचे कटान देते हुए जाती है, उसे दाखिली लाईन कहते हैं।

10. खारगी लाईन–जो लाईन किसी मेड़ के एक कोण से ऊपर की ओर जाए, उसे खारगी लाईन कहते हैं।

11. वापसी लाईन–जो लाईन किसी कोण से जरीब के नीचे बाएं-दाएं से जाए, उसे वापसी लाईन कहते हैं। ये दो मुस्तकील के सहारे मापी की सुविधा के लिए आगे बढ़ाकर नापी की जाती है। यह लाईन आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए।

12. पंजा–यह निशान पाँच जरीब पूरा होने पर सरजमीन पर खोद कर बना दिया जाता है और नक्शा में भी निशान दे देते हैं।

13. दहला–वह निशान, जो दस जरीब पूरी होने पर जमीन पर खोद दिया जाता है और नक्शा में भी निशान बना देते हैं।

14. तोखा लाईन–नक्शे पर तीन सिवानी या चार सिवानी पत्थर से एक जरीब हटकर सीमा करते हुए पाँच जरीब की लाईन खींची जाती है। यह तीन सिवानी पत्थर पर एक तोखा लाईन तथा चार सिवानी पत्थर पर दो तोखा लाईन खींची जाती है।

15. मुरब्बा एवं मुरब्बा लाईन–पैमाइश के सुविधा के लिए ट्रावर्स लाईन के अंदर जो सात (7) जरीब से बारह (12) जरीब तक मौजा को टुकड़े-टुकड़े में बाँटने के लिए जो लाईन खींची जाती है, उसे मुरब्बा लाईन कहते हैं और उसका जो एक-एक टुकड़ा हो जाता है, उसे मुरब्बा कहते हैं।

16. ट्रावर्स लाईन–यह लाईन मौजे को सीमाबद्ध करने के लिए जमीन में खोदी जाती है। यह लाईन मौजे के सिवाने का नक्शा बनाने तथा फिल्ड बुक उठाने हेतु बनाया जाता है जो एक बम्बा से दूसरे बम्बा तक या एक सेहढ़ा पत्थर से दूसरे सेहढ़ा पत्थर तक खींची जाती है।

17. शिकमी लाईन–मुरब्बा के अंदर पैमाइश की सुविधा के लिए जो लाईन तीन-तीन जरीब पर पैमाइश के वास्ते खींची जाती है, उसे शिकमी लाइन कहते हैं।

18. ओतर लाईन–यह तीन-तीन जरीब पर एक कोण से दूसरे कोण तक यानी तिरछी लाईन मुरब्बा लाईन के अंदर चलाकर मापी जाती है।

19. कैंची लाईन–ट्रावर्स लाईन के बाहर 2½ जरीब से अधिक जमीन छूटने पर ट्रावर्स लाईन पर दो कटान के जरिये एक तीसरे स्थान कायम कर उसे मिलाकर जो लाईन चलाया जाता है, उसे कैंची लाईन कहते हैं।

20. पेटा या परदा लाईन–किसी मौजे से एक सीमा से दूसरे सीमा तक मुरब्बा तरासों के सुविधा के लिए जो लाईन खींची जाती है, उसे पेटा या परदा लाईन कहा जाता है।

21. पैन शीट लाईन–जिस मौजा का नक्शा एक से अनेक शीट पर तैयार किया गया हो, उसे मार्जीन कहते हैं।

22. मार्जिन लाईन–जिस मौजे का नक्श एक शीट (चादर) पर नहीं बन सकता यानि उसे कई शीटों पर बनाया जाता है। उन शीटों को अलग करने या मिलाने वाली लाईन को मार्जिन लाईन कहते हैं।

23. टाई लाईन–लाईन मुस्तिकल को किसी त्रिभुज-चतुर्भुज ट्रावर्स के शुरू एवं अंतिम लाईन को मिलाती है। उसे टाई लाईन कहा जाता है।

24. चेक या पड़ताल लाईन–जो लाई मुरब्बा के अंदर की नापी का चेक करने हेतु एक कोण से दूसरे कोण तक खींची जाती है, उसे पड़ताल या चेक लाईन कहते हैं।